

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2025

थाना बबुरी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व बरामदगी एक अदद पीली धातु की अंगूठी व एक अदद मोटर साईकिल

आज दिनांक 12.06.2025 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी श्री सूर्य प्रकाश मिश्र के कुशल नेतृत्व में बबुरी पुलिस द्वारा वांछित अपराधियो/वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में मु0अ0सं0-67/25 धारा-352/309(6)/117(2)/115(2) बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना बबुरी जनपद चन्दौली से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त रतनदीप वर्मा पुत्र अनिल वर्मा निवासी ग्राम बबुरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष को मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर ग्राम हटिया के पास मुख्य सड़क शहाबगंज से बबुरी मार्ग से समय करीब 14.35 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के पास मौके से एक अदद मोटर साईकिल जिसका नम्बर UP67AM2426 है व एक अदद पीली धातु की अंगूठी बरामद की गयी है। जो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता वारण्टी

1 अभियुक्त रतनदीप वर्मा पुत्र अनिल वर्मा निवासी ग्राम बबुरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- नि0 अ0 विभूति नरायण राय थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- उ0नि0 प्रमोद कुमार शुक्ला थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- हे0का0 विजय कुमार थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- का0 हरीश यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

जनपद- चन्दौली

◆जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 01 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधी के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री चन्द्र मोहन गर्ग व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 01 आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं। तथा इस अपराधी को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया हैं। अगर इसके बाद भी कोई जनपद चंदौली की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन पुलिस द्वारा किया जायेगा। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

थाना धानापुर-

1.प्रवीण यादव पुत्र दयाराम यादव नि० ग्राम मनीपट्टी थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

- 1.मु0अ0सं0 200/15 धारा 507 भादवि थाना चन्दौली
- 2.मु0अ0सं0 89/18 धारा-323,336,352,504,506 भादवि थाना धानापुर
- 3.मु0अ0सं0 95/20 धारा-188,269,270,271,283 भादवि,51 आपदा प्रबन्धन अधि0 थाना धानापुर
- 4.मु0अ0सं0 81/21 धारा-323,336,352,504,506 भादवि थाना धानापुर
- 5.मु0अ0सं0 82/21 धारा-147,188,269,270,323,504,506 भादवि,51/54 आपदा प्रबन्धन अधि0 व 03 महामारी अधी0 थाना धानापुर
- 6.मु0अ0सं0 144/2022 धारा-323,504,506 भादवि थाना धानापुर
- 7.मु0अ0सं0 20/24 धारा- 147,323,504,506 भादवि थाना धानापुर
- 8.बीट सूचना संख्या-26 दिनांक-30.04.2024